रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 265] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 7, 2014/कार्तिक 16, 1936
No. 265] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 7, 2014/KARTIKA 16, 1936

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2014

सं. 72 (आर.ई.–2013)/2009–2014

विषयः बांग्लादेश और भारत के बीच त्रिपुरा बॉर्डर पर बॉर्डर हाटों में व्यापार।

फा. सं. 01/93/180/11/एएम12/पीसी-2 (ख).––विदेश व्यापार नीति, 2009–14 के पैराग्राफ 2.13 के साथ पठित पैरा 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच दिनांक 23.10.2010 के समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अधीन निम्नलिखित व्यवस्था करते हैं:

1. विदेश व्यापार नीति में निहित प्रावधानों के अनुसरण में, पूर्वो मध्यग्राम (भारत) और छोईघोरिया (बांग्लादेश) के बीच श्रीनगर, त्रिपुरा के बॉर्डर हाटों में निम्नलिखित वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी जाएगी:

i स्थानीय रूप से पैदा की जाने वाली सब्जियां, खाद्य सामग्रियां, फल, मसाले;

ii लघु स्थानीय वन्य उत्पाद उदाहरणतया बांस, बैम्बू ग्रास और इमारती लकड़ी को छोड़कर झाड़ू;

iii गमछा, लुंगी आदि जैसे स्थानीय उद्योग के उत्पाद;

iv छोटे स्थानीय रूप से उत्पन्न कृषिगत घरेलू उपकरण जैसे डाऊ, हल, कुल्हाड़ी, फावड़ा, छेनी आदि;

V स्थानीय रूप से बनाए गए वस्त्र, मैलामाइन उत्पाद, संसाधित खाद्य सामग्री, फलों का रस आदि।

2. उपरोक्त में स्थानीय रूप से तैयार का आशय नामित हाट के संबंधित बॉर्डर जिलों के उत्पाद से है। उपरोक्त मद सूची में आने वाली विशिष्ट वस्तु के संबंध में स्पष्टीकरण समझौता ज्ञापन (एमओयू) के संचालन संबंधी दिशा–निर्देशों के अनुच्छेद–1 के तहत गठित हाट प्रबंधन समिति द्वारा दिया जाएगा।

3. वेंडर्स जिन्हें बॉर्डर हाटों में अपना उत्पाद बेचने के लिए अनुमत किया जाता है, बॉर्डर हाट से पांच (5) किमी. की परिधि के भीतर के क्षेत्र के होंगे। वेंडीज स्नैक खाद्य/रसों के तत्काल उपभोज्य मदों को बेच सकते हैं जैसाकि हाट प्रबंधन समिति द्वारा अनुमत होगा।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः

इससे भारत और बांग्लादेश के बीच दिनांक 23.10.2010 को हुए समझौता ज्ञापन के प्रावधानों को संचालित किया जाता है तथा श्रीनगर, त्रिपुरा (भारत) में नए बॉर्डर हाट के माध्यम से दोनों देशों के बीच सीमावर्ती व्यापार को सुगम बनाया जाता है।

प्रवीर कुमार, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 7th November, 2014

No. 72 /2009-2014 (RE-2013)

Subject: Trade in Border Haat across the border at Tripura between Bangladesh and India.

F. No. 01/93/180/11/AM-12/PC-2(B).—In exercise of powers conferred under paragraph 2.4 read with 2.13 of the Foreign Trade Policy, 2009-14, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following arrangements under the Memorandum of Understanding (MOU) dated 23.10.2010 between India and Bangladesh:

1. In terms of the provisions contained in the Foreign Trade Policy, the following commodities will be allowed to be traded in the Border Haat at Srinagar, Tripura – between Purbo Madhyagram (India) and Chhoighoria (Bangladesh):

i. Locally produced vegetables, food items, fruits, spices;
ii. Minor local forest produce e.g. bamboo, bamboo grass and broom stick but excluding timber;
iii. Products of local cottage industries like Gamcha, Lungi etc;
iv. Small locally produced agriculture household implements e.g., dao, plough, axe, spade, chisel etc;
v. Locally produced garments, melamine products, processed food items, fruit juice, etc.

2. Locally produced under the above means 'the produce of the concerned border district of the designated Haat'. Clarification as to the specific commodity falling under the above list of items will be given by the Haat Management Committee, constituted under Article 1 of the operational guidelines of the MOU.

3. Vendors who are allowed to sell their products in the Border Haats shall be the residents of the area within five (5) km radius from the location of Border Haat. The vendees may offer immediate consumption items of snack foods/juices as may be allowed by the Haat Management Committee.

Effect of Public Notice

It operationalises the provisions of Memorandum of Understanding dated 23.10.2010 between India and Bangladesh and facilitates border trade between the two countries through a new border Haat at Srinagar, Tripura (India).

PRAVIR KUMAR, Director General of Foreign Trade

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.